संख्याः 103/XXXI(15)G/18-85(सू0अ0)/2012

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–विभागाध्यक्ष/निदेशक/समस्त निदेशालय/मुख्यालय उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2018

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अधीन नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि शासनादेश संख्या–177/xxii/2005 दिनांक 29 जुलाई, 2005 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लोक प्राधिकारी नामित किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग में दर्ज अपील संख्या–A(D)-16091, 16092, 16095/2014 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2016 द्वारा अपेक्षा की गयी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर नये सिरे से उच्च स्तर के अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाये।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानुसार समस्त लोक प्राधिकारी अपने अपने नियंत्रणाधीन विभागों में नये सिरे से लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी नामित करते हुए उसकी सूचना मा0 सूचना आयोग एवं सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः 103/XXXI(15)G/18- 85(सू0अ0)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्द्रेश कुमार)
अपर सचिव।